भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2902 का उत्तर

रेल यात्रा बीमा

2902. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से ई-टिकट लेने वाले यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा की पेशकश की जाती है;**

(ख) **यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान रेल यात्रा बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा यात्रियों से एकत्रित कुल प्रीमियम का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;**

(ग) **उक्त अवधि के दौरान आज की तारीख तक प्राप्त/स्वीकृत/लंबित दावों की कुल संख्या कितनी है;**

(घ) **इन दावों के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा प्रभावित यात्रियों/उनके रिश्तेदारों को कुल कितनी राशि संवितरित की गई है;**

(ङ) **क्या उक्त बीमा योजना की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है और लाभार्थियों को बीमा का लाभ समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

(च) **क्या सरकार का विचार उक्त योजना की समीक्षा करने और इसे और अधिक प्रभावी तथा यात्री-अनुकूल बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): सभी आरक्षित यात्री ऑनलाइन माध्यम अथवा आरक्षण काउन्टरों पर टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन कन्फर्म/आरएसी ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना उपलब्ध है। कोई भी यात्री जो बीमा सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, वह

टिकट बुक करते समय अपने विवेक से इस योजना का विकल्प चुन सकता है। यह योजना उन यात्रियों के लिए उपलब्ध है जो ई-टिकट बुक करते हैं और यह उन लोगों को अतिरिक्त बीमा कवर प्रदान करती है जिन्होंने इसका विकल्प चुना है और प्रीमियम का भुगतान किया है।

वर्तमान में, वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के माध्यम से बीमा प्राप्त करने के लिए प्रीमियम 0.45 रुपए (पैंतालीस पैसे) प्रति यात्री प्रति यात्रा है, जिसमें सभी कर शामिल हैं।

जो यात्री टिकट बुक करते समय बीमा योजना के विकल्प का चयन करते हैं और वे किराए के साथ प्रीमियम का भुगतान करते हैं। यात्री को उनके पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल आईडी पर बीमा कंपनी से सीधे एसएमएस के माध्यम से पॉलिसी की सूचना प्राप्त होती है और नामांकन विवरण भरने के लिए एक लिंक प्राप्त होता है। बीमा कंपनी पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान के लिए सीधे जिम्मेदार है। दावे की जिम्मेदारी बीमाकृत व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच है।

यात्री बीमा कंपनी से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज़ों के अनुसार सीधे बीमा कंपनी के पास दावा दायर कर सकते हैं। दावा दायर करना यात्री और बीमा कंपनी के बीच एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान यात्रियों द्वारा दायर किए गए दावों के बाद बीमा कम्पनीयों द्वारा 333 दावों का निपटान किया गया है और बीमा कंपनियों द्वारा यात्रियों को 27.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना एक प्रभावी एवं यात्री हितैषी योजना है। यह 0.45 रुपए के न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिससे यह ई-टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के लिए किफायती और सुलभ हो जाता है। यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते समय केवल टिक बॉक्स पर क्लिक करके आसानी से ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और एकीकृत है, जिसके लिए बुकिंग के समय किसी अलग आवेदन या दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती है।

******